



झारखण्ड सरकार  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
(परिशिष्ट-3)

विभिन्न सैटेलाइट टी०वी० चैनलों को झारखण्ड राज्य की स्वीकृति सूची में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र :-

क्र०सं०

1. सैटेलाइट टी०वी०\_चैनल का नाम :-
2. भाषा :-
3. चैनल की प्रकृति (न्यूज/नॉन न्यूज/अन्य) :-
4. संचालन क्षेत्र (क्षेत्रीय/राष्ट्रीय) :-
5. प्रसारण स्थल का पूर्ण पता (दूरभाष संख्या एवं ई-मेल आई० सहित) :-
6. चैनल के संचालक कंपनी का नाम एवं पूर्ण पता :-
7. चैनल के आरंभ होने की तिथि :-
8. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रसारण हेतु निर्गत लाईसेंस संख्या, वर्ष एवं तिथि :-
9. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से निर्गत अपलिक एवं डाउनलिंग प्रमाण-पत्र संख्या एवं तिथि :-
10. चैनल का प्रारंभिक स्वामित्व का नाम :-
11. प्रारंभ होने के बाद यदि स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, जो उसकी विवरणी :-
12. वर्तमान स्वामित्व का नाम :-

13. चैनल हेड का नाम एवं पता :-
14. क्या चैनल प्रारंभ होने के बाद भी बंद रहा है :-
15. यदि बंद रहा है तो कितने समय तक और क्यों :-
16. भारत सरकार के अधिमान्य संस्था द्वारा टी०आर०पी०/टैम के अनुसार चैनल का Viewership रिपोर्ट :-
17. चैनल का विज्ञापन प्रसारण का नेट रेट (डी०ए०वी०पी० द्वारा निर्धारित दर) :-
18. यदि अन्य राज्यों में चैनल का प्रसारण होता है तो उन राज्यों का नाम :-
19. चैनल से अर्जित राजस्व के संदर्भ में पिछले वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की विवरणी :-

(कृपया उपरोक्त सभी कॉलमों की पूर्ति करें एवं सभी पृष्ठों पर संपादक/माध्यम का संचालक का हस्ताक्षर करें)

**नोट :-** कृपया आवेदन के साथ झारखण्ड विज्ञापन नियमावली, 2019 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी कॉलमों में दी गयी सूचना सही है।

संपादक/माध्यम के संचालक का हस्ताक्षर  
एवं मुहर